न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
पुराना मुकदमा न0– 113/2020
जी सी एम एस न0 2020/00244

दर्ज दिनांक 17.07.2020
निर्णय दिनांक 05.01.2023

परमेश्वरी

बनाम

मदिना आदि

अंतिम निर्णय

दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ... –..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/**गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज..–............निल........ मुबलिक –.............निल................. दाबन.–.............................निल.................. ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.................निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –................निल...................... . का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05. माह 01 सन 2023 को जारी की गई।

5/1/23

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:40:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

पुराना मुकदमा न0— 113/2020 | दर्ज दिनांक 17.07.2020

जी सी एम एस न0 2020/00244 | निर्णय दिनांक 05.01.2023

परमेश्वरी बनाम मदिना आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम केड पटवार हल्का केड के भूमि खसरा न0 181, 182, 186 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9600 है0 में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के हिस्से की भूमि का कब्जा एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 19.08.2021 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौडजी से पत्र कमांकः— भू.अ./2022/239 दिनांक 20.09.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

(हस्ताक्षर) 5/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:40:23 IST
Reason: SelfAttested